रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 1998/चैत्र 23, 1920
No. 14] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 1998/CHAITRA 23, 1920

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1998

सं. विज्ञापन/III/IV/143/98.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न अनुसूची में किए गए उल्लेखानुसार वर्ष 1996-97 के दौरान नव मंगलूर पत्तन से कुद्रेमुख आयरन ओर कं.लि. (KIOCL) द्वारा निर्यात किए गए लौह अयस्क पर घाट भाड़ा प्रभार नियत करता है ।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

अनुसूची

मामला सं० TAMP/1/97-NMPT

नवमंगलूर पत्तन न्यास ....आवेदक

आदेश

(27 मार्च, 1998 को पारित)

यह मामला नवमंगलूर पत्तन से कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि. (KIOCL) द्वारा 1996-97 के दौरान निर्यात किए गए लौह अयस्क पर घाट शुल्क प्रभारों के पूर्वव्यापी निर्धारण के लिए नवमंगलूर पत्तन न्यास के प्रस्ताव से संबंधित है ।

2. KIOCL नवमंगलूर पत्तन पर एक बड़ा बल्क प्रचालक है । नवमंगलूर पत्तन न्यास और KIOCL द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में यह प्रावधान है कि घाट भाड़ा प्रभारों की गणना लेखों के अंतिम आंकड़ों से प्राप्त वास्तविक खर्च के आंकड़ों के संदर्भ में पूर्वव्यापी प्रभाव से की जाएगी । इस प्रावधान के अनुसरण में और KIOCL से प्राप्त इस आशय के अनुरोध का अनुमोदन करते हुए नवमंगलूर पत्तन न्यास ने अपने पत्तन से KIOCL द्वारा 1996-97 के दौरान निर्यातित लौह अयस्क पर घाट भाड़ा प्रभारों के पूर्वव्यापी निर्धारण का प्रस्ताव किया है ।

3. इस मामले पर प्राधिकरण द्वारा अपनी आठवीं बैठक में विचार किया गया । प्राधिकरण का यह दृढ़ मत है कि प्रशुल्कों से संबंधित इसके आदेश केवल भावी रूप से लागू होंगे । इसके मत से प्रशुल्कों के पूर्वव्यापी नियतन/संशोधन से परिहार्य जटिलताएं उत्पन्न होती हैं । तथापि, विचाराधीन प्रस्ताव के संदर्भ में विधि मंत्रालय से जल भूतल परिवहन मंत्रालय के जरिए इस आशय की एक विशेष सलाह प्राप्त हुई है कि यह प्राधिकरण इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है । आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हुई कि यदि प्राधिकरण प्रस्ताव पर विचार नहीं करता तो यह दुविधा में पड़ सकता है । इसे इस संदर्भ में मान्यता दी जानी है कि प्रशुल्कों को अनुमोदित/स्वीकृत करने की शक्ति इस प्राधिकरण को देने के पश्चात् सरकार इस प्रस्ताव पर विचार नहीं कर सकती । कानूनी सलाह

का तर्क यह है कि महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 52 को हटा दिया गया था और धारा 48(1) को इसके स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया गया था, इस संशोधन से कर निर्धारित करने का बोर्ड का अधिकार धारा 47(क) के अनुसार प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया गया है और क्योंकि बोर्ड शक्तियों का अब प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह पूर्वव्यापी प्रभाव से दरें नियत कर सकता है ।

4. इस विकास के संदर्भ में प्राधिकरण ने प्रशुल्कों के पूर्वव्यापी नियतन के लिए ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने का निर्णय लिया है ।

5. इस संदर्भ में यह भी स्वीकार किया जाता है कि ऐसे मामलों में केवल दो ही पक्षकार अर्थात् संबंधित पत्तन न्यास और संबंधित बल्क प्रचालक शामिल हैं । चूंकि यह प्रस्ताव तथ्यात्मक रूप से एक समझौता ज्ञापन के संदर्भ में होगा इसलिए प्रस्ताव के लिए दोनों पक्षकारों का समझौता होगा । इस प्रकार ऐसे मामलों में प्रस्ताव को स्वीकार करने में सुविधा होगी ।

6. प्राधिकरण इस तथ्य को भी नोट करता है कि यह प्रस्ताव नवमंगलूर पत्तन के न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित है ।

7. परिणामस्वरूप उक्त कारणोंवश नवमंगलूर पत्तन से 1996-97 के दौरान KIOCL द्वारा निर्यात किए गए लौह अयस्क के लिए घाट भाड़ा दर के नियतन के लिए नवमंगलूर पत्तन न्यास का प्रस्ताव 28.15 रु. प्रति मी.ट. की दर पर अनुमोदित किया जाता है ।

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 1998

No. ADVT/III/IV/143/98.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby fixes the wharfage charges on iron ore exported by the Kudremukh Iron Ore Co. Ltd., (KIOCL) from the New Mangalore Port during 1996-97 as in the Schedule appended hereto.

S. SATHYAM, Chairman

SCHEDULE

Case No. TAMP/1/97-NMPT

The New Mangalore Port Trust ....**Applicant**

ORDER

(Passed on this 27th day of March 1998)

This case relates to a proposal from the New Mangalore Port Trust (NMPT) for retrospective determination of wharfage charges on iron ore exported during 1996-97 by the Kudremukh Iron Ore Co. Limited (KIOCL) from the New Mangalore Port.

2. The KIOCL is a major bulk operator at the NMPT. A Memorandum of Understanding (MOU) signed between the NMPT and the KIOCL provides that wharfage rates will be calculated retrospectively with reference to actual expenditure figures available from final figures of accounts. In pursuance of this provision, and in endorsement of a request to the effect from the KIOCL, the NMPT has proposed a retrospective determination of wharfage charges on iron ore exported during 1996-97 by the KIOCL from the New Mangalore Port.

3. This case was considered by the Authority in its Eighth Meeting today. The Authority has firmly been of the view that its orders relating to tariffs shall have only prospective application. In its opinion, retrospective fixation/revision of tariffs gives rise to avoidable complications. With reference to the proposal under consideration, however, a specific advice has been received, through the Ministry of Surface Transport, from the Ministry of Law to the effect that this Authority can entertain the proposal. The need has arisen because, unless the Authority entertains the proposal, it may fall between two stools. It has to be recognised in this context that the Government cannot also entertain the proposal having made over to this Authority the power to approve/sanction tariffs. The logic of the legal advice is that Section 52 of the Major Port Trusts Act was omitted and substituted by Section 48(1) *ibid.*; by this amendment, the right of the Board to frame the rate has been transferred to the Authority as per Section 47(a); and, since the powers of the Board are now exercised by the Authority, it can fix rates retrospectively.

4. In the context of this development, the Authority has decided to entertain such proposals for retrospective fixation of tariffs.

5. It is also recognised, in this context, that such cases involve only two parties, viz., the port trust concerned and the bulk operator concerned. Since the proposal will be with reference to an MOU, *ipso facto,* there will be agreement of both the parties to the proposal. That being so, in such cases, the balance of convenience will lie in favour of accepting the proposal.

6. The authority also takes note of the fact that the proposal has been approved by the Board of Trustees of the NMPT.

7. In the result, and for the reasons given above, the proposal of the NMPT for fixation of wharfage rate for iron ore exported by the KIOCL during 1996-97 from New Mangalore Port @ Rs. 28.15 pMT is approved.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.